

पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन-179-(2008-2009)/868/112060/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ::सितम्बर 23, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2027/ग्यारह-9-(15)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008 दिनांक 30-6-2008 द्वारा दिनांक 1-1-2008 से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डी0टी0ए0) अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस0ई0जेड0) के व्यापारी द्वारा विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशन्स " हेतु विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सहविकासकर्ता तथा वहाँ स्थापित इकाईयों को बेचे गये माल के लिए कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पर मूल्य सम्वर्धित कर से छूट प्रदान की गयी है। इसके उपरान्त मुख्यालय के पत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन (08-09)/723/ 0910043 दिनांक 26-8-2009 द्वारा यह निर्देश भी प्रसारित किये गये थे कि वर्क कान्ट्रैक्ट के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाले माल के स्वामित्व का अन्तरण भी "डीमड सेल" की परिभाषा में आने के कारण ऐसी बिक्री भी उक्त विज्ञप्ति से आच्छादित होगी। तत्पश्चात् परिपत्र संख्या-विधि-2-(1)-विशेष आर्थिक जोन-179-(2008-2009)- 725 / 1011027 दिनांक 6-7-2010 द्वारा "वर्क कान्ट्रैक्ट" पर कर से छूट की स्थिति को स्पष्ट करते हुये परिपत्र संख्या-वैट-(2008-2009)-विज्ञप्ति-357 दिनांक 3-7-2008 द्वारा निर्धारित फार्म डी के स्थान पर "वर्क कान्ट्रैक्ट" के सम्बन्ध में फार्म डी-1 निर्धारित किया गया था।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 1-9-2011 को सम्पन्न बैठक के दौरान विकास आयुक्त, नोएडा एस0ई0जेड0, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि परिपत्र संख्या- 725 / 1011027 दिनांक 6-7-2010 द्वारा "वर्क कान्ट्रैक्ट" के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा समुचित रूप से निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3- विज्ञप्ति संख्या-2027 दिनांक 30-6-2008 निर्गत होने के उपरान्त अधिकारियों में व्याप्त भ्रम के निवारण के लिए परिपत्र संख्या- 725 / 1011027 दिनांक 6-7-2010 से स्थिति स्पष्ट किये जाने के बावजूद निर्देशानुसार कार्यवाही न किया जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। कृपया परिपत्र 725 / 1011027 दिनांक 6-7-2010 द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में इस सम्बन्ध में मुख्यालय पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।



(विनोद कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।